अत्यावश्यक

नगरपालिका उप-निर्वाचन, 2023

राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या- न0नि0 50-187/2023 - 265

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिल निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
पटना, कैमूर, नालन्दा, गया, सारण, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधेपुरा एवं अररिया

पटना, दिनांक - 19.1.24

विषय : नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023 – मतगणना से संबंधित दिशा-निर्देश।
प्रसंग : आयोग का पत्रांक 230 दिनांक 19.01.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पूर्व के नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 एवं नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2023 में ई.वी.एम. (सी.यू.) से प्रदर्शित हो रहे आँकड़ों का ओ.सी.आर. पद्धति के माध्यम से मतगणना कराये गये थे परन्तु इस उप निर्वाचन, 2023 में ई.वी.एम. (सी.यू.) से प्राप्त हो रहे आँकड़ों के रिकॉर्डिंग कराने के उद्देश्य से मतगणना टेबुल पर वेब कैमरा अधिष्ठापित कराया जाना है। इस हेतु कैमरों की आवश्यकता एवं उसकी उपयोगिता आदि के संबंध में आयोग के प्रासंगिक पत्रांक 230 दिनांक 19.01.2024 द्वारा दिशा निर्देश संसूचित किये गये हैं।

उक्त प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक है कि किन पदों के लिए किस कैमरों का उपयोग किया जाना है उसकी मैपिंग कर ली जाय ताकि बाद में कैमरे के रिकॉर्डिंग के इन्डेक्स द्वारा आसानी से उसे देखा जा सके। इस हेतु विहित प्रपत्र-1 में प्रतिवेदन तैयार कर दिनांक 23.01.2024 को ही आयोग को भेजना सुनिश्चित की जाय।

अनुरोध है कि तत्संबंधी निदेश से संबंधित निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ-साथ सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

प्रपत्र-24 (क) एवं प्रपत्र-24(ख)(2) में प्राप्त मतों को मतगणना सॉफ्टवेयर में सही-सही प्रविष्ट प्रविष्ट करने की जिम्मेवारी संबंधित कम्प्यूटर ऑपरेटर की होगी एवं **एक सहायक निर्वाची पदाधिकारी** को इसकी पूर्ण जिम्मेवारी दी जाएगी। प्रत्येक प्रपत्र पर उनका हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। **मतगणना टेबुल से प्राप्त प्रपत्र-24 (क) एवं प्रपत्र-24(ख)(2) की विडियोग्राफी भी सुनिश्चित की जायेगी।**

यदि किसी भी कर्मी द्वारा आँकड़ों में प्रविष्टि के समय जान-बूझकर गड़बड़ी की गयी है तो संबंधित कर्मी के विरूद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 459, धारा 466 एवं धारा 470 के तहत् प्रथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

तत्पश्चात अन्तिम परिणाम की घोषणा के पूर्व प्राप्त मतों के संकलन एवं समेकित मतों की शुद्धता की

जिम्मेवारी निर्वाची पदाधिकारी की होगी। निर्वाची पदाधिकारी संतुष्ट होने के पश्चात संबंधित कागजात पर अपना हस्ताक्षर सुनिश्चित करेंगे। प्रेक्षक सम्यक् जाँचोपरान्त प्रपत्र -24(ख)(1) एवं प्रपत्र-24(ग) को हस्ताक्षरित करेंगे।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय एवं तत्संबंधी निदेश से संबंधित निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ-साथ सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,
19/01/24
सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-187/2023 265 पटना, दिनांक – 19.1.24

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

19/01/24
सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-187/2023 265 पटना, दिनांक – 19.1.24

प्रतिलिपि, प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, मगध (गया), सारण, तिरहुत (मुजफ्फरपुर), दरभंगा, कोशी (सहरसा) एवं पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/01/24
सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-187/2023 265 पटना, दिनांक – 19.1.24

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/01/24
सचिव।

प्रपत्र–1

मतगणना के दिन जिला में उपयोग होने वाले कैमरों की संख्या का प्रतिवेदन

जिला　　　　नगरनिकाय का नाम　　　　दिनांक

क्र0	एजेंसी द्वारा नगरनिकायवार लगाये गये कुल कैमरों की संख्या	पद का नाम	पद से संबंधित नगरनिकाय / निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या	पदवार कुल कैमरों की संख्या	पद अनुसार कुल ईवीएम की संख्या	पदवार क्रम अनुसार कैमरा आई.डी. / संख्या की प्रविष्टि	कैमरा संख्या के अनुरूप ईवीएम नंबर (संबंधित पद अनुसार क्रमवार ईवीएम संख्या की प्रविष्टि)	आयोग से प्राप्त कैमरों को लगाये गये स्थान (Place) की प्रविष्टि (जैसे टेबल पर, हॉल में, स्ट्रॉग रूम में या अन्य)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

नोट　उक्त प्रतिवेदन आयोग द्वारा आवंटित कैमरों की संख्या से संबंधित मात्र है।

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर